

# अवर अभियंता संघ, बिहार

(Sub-ordinate Engineers' Association, Bihar)

अमरनाथ पथ, जी०पी०ओ०, (पोस्ट बॉक्स नं०-86)

पटना- 800001

दूरभाष सं० : 0612-2504205

E-mail : sesabihar@gmail.com, Website : www.sesabihar.org

(बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या- 3529 ई० तिथि

01.04.1946 द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त एवं

निबंधन विभाग द्वारा निबंधन संख्या- S000160/2021-22 से पंजीकृत)



संघीय संविधान का संशोधित संस्करण

2025

पटना

# अवर अभियंता संघ, बिहार

## प्राक्कथन

अवर अभियंता संघ, बिहार का संशोधित एवं पुनर्लिखित संविधान प्रस्तुत किया जा रहा है। बिहार प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत डिप्लोमाधारी अभियंताओं के मान-सम्मान एवं अधिकारों के रक्षार्थ संगठन की महत्ता एवं एकात्मकता के सार्वभौमिक सिद्धांत को अंगीकार करते हुए 09 मई 1945 ई० को तत्कालीन कुछेक प्रबुद्ध डिप्लोमाधारी अभियंताओं द्वारा "अवर अभियंता संघ, बिहार" की स्थापना की गई जिसे बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग के पत्र सं०- 3529 ई० तिथि 01.04.1946 द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्रदान किया गया। कालान्तर में बिहार सरकार द्वारा प्रतिस्थापित नियम के आलोक में निबंधन विभाग के निबंधन सं०- S000160/2021 द्वारा संघ का पंजीकरण किया गया।

संघ का मूल संविधान 12 अगस्त, 1979 से प्रभावी है जो संघीय एकता एवं संघीय उद्देश्यों की प्राप्ति में कारगर साबित हो रहा है। संघीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिस्थितियों के अनुरूप संघ के स्वर्ण जयंती वर्ष 1996, वर्ष 2007 एवं 2022 में संघ के आमसभा में पारित प्रस्तावों के अनुरूप संघ के संविधान में कुछेक संशोधन हुए जो आज भी प्रभावी है।

संघीय मूल भावना को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों से संघीय संविधान में कुछ आवश्यक संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। केन्द्रीय कार्यसमिति की दिनांक-19.10.2025 की बैठक में इन संशोधनों पर सम्यक विचारोपरान्त इसे पारित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि दिनांक-14.12.2025 को आम सभा आहूत कर इसकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

दिनांक-14.12.2025 को इन्हीं संशोधनों पर सम्यक् विचारार्थ आम सभा आहूत किया गया एवं केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा पारित संविधान संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त की गयी। स्वीकृत संविधान संशोधनों के साथ संघीय संविधान का यह संशोधित संस्करण प्रस्तुत है जिसमें दो सदस्यीय सलाहकार की व्यवस्था, केन्द्रीय कार्यसमिति के पदधारक के लिए निर्माता-निदेश की आजीवन सदस्यता की अनिवार्यता, संघीय व्यवस्था के सफल संचालन के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन, समस्त शाखाओं का निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का मनोनयन एवं संघीय लीगल कमिटी का गठन संबंधी प्रावधानों को निहित किया गया है।

संघ के संचालन एवं संघीय एकता को बनाए रखने हेतु संघीय संविधान का निरूपण एवं परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन करना एक महत्वपूर्ण कदम है परन्तु निरूपित संघीय संविधान के नियमों के अनुरूप आचरण करना संघ के प्रत्येक सदस्य का मौलिक कर्तव्य है। यह संघीय संविधान हमारा है, हमारे द्वारा निरूपित है तथा हमारे लिए निरूपित है। अतएव संघ के सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि हम सब स्वनिर्मित संविधान के अनुरूप आचरण करने का संकल्प लेकर एक सशक्त एवं धारदार संगठन बनाने की परिकल्पना को साकार करें।

जय संघ !

जय एकता !!



इं० ( डॉ० ) मनमोहन सिंह ( Ph.D. )  
महामंत्री

14 दिसम्बर, 2025  
पटना।

# अवर अभियंता संघ, बिहार

(बिहार सरकार, लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 3529 ई0, दिनांक 1 अप्रील 1946 द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार सरकार, निबंधन विभाग के निबंधन संख्या-s000160/2021-2022 से निबंधित)

## संशोधित संघीय संविधान

1- यह संघ "अवर अभियंता संघ, बिहार (Sub-Ordinate Engineers' Association, Bihar)" के नाम से जाना जाएगा ।

## 2. मुख्यालय

2.1 संघ का मुख्यालय पटना में रहेगा ।

2.2 मुख्यालय का पता :- अवर अभियंता संघ भवन, अमरनाथ पथ,  
पोस्ट बॉक्स संख्या- 86, जी0 पी0ओ0,  
पटना- 800001.

2.3 संघ का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार होगा ।

## 3. उद्देश्य एवं लक्ष्य -

3.1 संघ के सदस्यों के बीच स्नेह एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करते हुए एकता स्थापित करना ।

3.2 सदस्यों की अनुभूतियों एवं अनुभवों का परस्पर आदान-प्रदान करना ।

3.3 सदस्यों की दक्षता बढ़ाने हेतु उचित पद्धति प्रस्तावित करना एवं कार्यान्वित करना ।

3.4 सदस्यों की समस्याओं के निवारणार्थ कार्रवाई करना ।

3.5 डिप्लोमाधारी अभियंताओं को बेहतर नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना ।

3.6 सदस्यों की सेवा शक्तों का संरक्षण एवं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्रयासरत रहना ।

3.7 अभियंत्रण सेवा में विभेद करने वाली शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए यत्न करना तथा अभियंत्रण सेवा में सापेक्षता लाने का प्रयास करना ।

3.8 सदस्यों में स्वावलम्बन, आत्मगौरव, परस्पर सहयोग तथा देशभक्ति की भावना जागृत करना ।

3.9 समान उद्देश्यों के दूसरे सेवा संघों/महासंघों से सम्पर्क स्थापित कर सहयोग एवं समर्थन का आदान-प्रदान करना ।

3.10 सदस्यों को राज्य एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रवृत्त करना ।

3.11 संघ को जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं राजनैतिक दलों से निरपेक्ष रखना ।

- 3.12 राज्य एवं राष्ट्र के विकास हेतु अभियंताओं, अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों की गोष्ठियाँ एवं सेमिनार आयोजित कर लिए गए प्रस्ताव एवं सुझाव सरकार को प्रस्तुत करना ।
- 3.13 सेवानिवृत्त सदस्यों का सम्मान करना एवं उनके तथा मृत सदस्यों के आश्रितों की लम्बित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करना ।
- 3.14 संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु युक्ति-युक्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना ।
- 3.15 लाचार एवं अभावग्रस्त सदस्यों को आवश्यक सहयोग मुहैया करना ।

#### 4. सदस्य -

- 4.1 अभियंत्रण में डिप्लोमा की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त एवं कार्यरत, अन्यत्र प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता/समकक्ष पदधारक एवं इससे प्रोन्नत पदधारक/समकक्ष पदधारक संघ के सदस्य (आजीवन/सामान्य) हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।
- 4.2 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता को संघ की सामान्य सदस्यता प्रदान किया जाएगा ।

#### 5. सदस्य की अहर्ता -

- 5.1 आजीवन सदस्यता ग्रहण करने के लिए सदस्य को संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन उचित माध्यम से महामंत्री को प्रस्तुत करना होगा ।
- 5.2 सामान्य सदस्यता ग्रहण करने के लिए शाखा में सचिव को पदस्थापन ब्योरा आवेदन के साथ देना होगा ।
- 5.3 संघ की कार्य समिति द्वारा निर्धारित सदस्यता राशि एवं अन्य सहयोग राशि प्रति वर्ष देय होगा ।
- 5.4 संघ की मूल इकाई शाखा द्वारा निर्धारित स्थानीय सहयोग राशि प्रति वर्ष देय होगा ।
- 5.5 संघीय संविधान में आस्था एवं संघीय निदेशों/अनुदेशों का पालन करना आवश्यक होगा ।
- 5.6 प्रत्येक सदस्य को संघीय परिचय पत्र, जो संघ के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा मूल इकाई की अनुशंसा पर निर्गत किया जायेगा, रखना अनिवार्य होगा। परिवर्तन की स्थिति में उसमें संशोधन केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा ।

#### 6. शुल्क -

- 6.1 सामान्य सदस्यता शुल्क 100.00 (एक सौ रूपये) प्रति वर्ष देय होगा ।
- 6.2 आजीवन सदस्यता शुल्क 1200.00 (एक हजार दो सौ रूपये) देय होगा ।
- 6.3 कंडिका-6.1 एवं 6.2 में वर्णित शुल्क के अलावा समय-समय पर कार्यसमिति द्वारा विभिन्न मदों में निर्धारित शुल्क भी देय होगा ।

## 7. सदस्यता समाप्ति -

- 7.1 सेवा निवृत्ति के पश्चात् संघीय सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।  
7.2 सामान्य सदस्यता शुल्क नहीं देने पर सामान्य सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

## 8 अनुशासनात्मक कार्रवाई -

- 8.1 संघ विरोधी आचरण, संघीय निदेशों/अनुदेशों की अवहेलना करने वाले सदस्यों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संघ की कार्य समिति सक्षम होगी ।  
8.2 कार्य समिति द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुपालन नहीं करने वाले सदस्यों को सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा ।  
8.3 संघीय कोष का दुरुपयोग करने वाले सदस्यों/संघीय पदाधिकारियों को कार्य समिति द्वारा निलम्बित या पदमुक्त किया जा सकेगा ।

## 9. संगठन ( शाखा )-

- 9.1 संघ की मूल इकाई शाखा के नाम से जानी जाएगी, जिसमें कम से कम 25 सदस्य रहेंगे ।  
9.2 एक प्रशासनिक अनुमंडल में यदि 25 से कम सदस्य भी हों तो शाखा का गठन किया जा सकेगा ।  
9.3 शाखा संचालन के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे -  
(i) शाखा अध्यक्ष-1, (ii) शाखा उपाध्यक्ष-1, (iii) शाखा सचिव-1, (iv) शाखा सह-सचिव-1, (v) कोषाध्यक्ष- 1, एवं छः कार्यकारिणो सदस्य ।  
9.4 इनका निर्वाचन शाखा के सदस्यों द्वारा होगा ।  
9.5 शाखा के पदाधिकारी पार्षद् भी हो सकते हैं, जिनका निर्वाचन शाखा के पदाधिकारियों के साथ ही किया जाएगा ।  
9.6 शाखा में प्रत्येक 25 सदस्य और उसके अंश (तेरह या अधिक) पर एक पार्षद् का निर्वाचन होगा ।  
9.7 शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव एवं कोषाध्यक्ष पदेन पार्षद् होंगे ।  
9.8 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता को संघ की सामान्य सदस्यता प्रदान किया जाएगा । उन्हें शाखा के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त होगा, परन्तु वे पदधारक नहीं हो सकेंगे ।  
9.9 शाखा का सत्र सामान्यतः 1 दिसम्बर से 30 नवम्बर तक होगा ।

## 10. संगठन ( जनपद )-

- 10.1 प्रत्येक जिला स्तर पर एक जनपद सचिव होंगे जिनका निर्वाचन जनपद के पार्षदों एवं पदेन पार्षदों द्वारा किया जाएगा ।

10.2 जनपद स्तर पर एक समिति होगी, जिसके सदस्य जनपद अन्तर्गत समस्त शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव एवं शाखा के कोषाध्यक्ष होंगे ।

10.3 जनपद सचिव का कार्यकाल सामान्यतः 01 दिसम्बर से 30 नवम्बर तक होगा ।

### 11. संगठन ( क्षेत्र )-

11.1 प्रत्येक प्रशासनिक प्रमंडल स्तर पर एक क्षेत्रीय सचिव होंगे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र के पार्षदों एवं पदेन पार्षदों द्वारा होगा ।

11.2 क्षेत्रीय सचिव के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय समिति होगी, जिसके सदस्य सभी जनपद सचिव एवं शाखा अध्यक्ष/शाखा सचिव होंगे ।

11.3 क्षेत्रीय सचिव का कार्यकाल सामान्यतः 1 दिसम्बर से 30 नवम्बर तक होगा ।

### 12. संगठन ( परिक्षेत्र )-

12.1 संगठन परिक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित क्षेत्र होंगे-

(क) पटना परिक्षेत्र - पटना क्षेत्र , भोजपुर क्षेत्र एवं मगध क्षेत्र ।

(ख) भागलपुर परिक्षेत्र- अंग क्षेत्र ( भागलपुर ) मुंगेर क्षेत्र , पूर्णियाँ क्षेत्र एवं सहरसा क्षेत्र ।

(ग) तिरहुत परिक्षेत्र- मिथिला क्षेत्र , समस्तीपुर क्षेत्र , तिरहुत क्षेत्र, चम्पारण क्षेत्र एवं सारण क्षेत्र ।

12.2 संगठन सचिव के पद पर नामांकन उसी संगठन परिक्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रों के पार्षद/ पदेन पार्षद ही कर सकेंगे ।

12.3. समस्त शाखाओं का निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु एक संघीय निर्वाचन आयोग का मनोनयन किया जाएगा जो निर्वाचन कार्य हेतु माह जनवरी से माह दिसम्बर तक सक्रिय रहेगा ।

### 13. केन्द्रीय कार्य समिति-

13.1 संघ के क्रिया कलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्य समिति होगी, जिसमें पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या का निर्धारण सामान्य परिषद् द्वारा किया जाएगा । इनमें से कम से कम एक तिहाई पदाधिकारियों का मुख्यालय पटना में रहना आवश्यक होगा । कार्य समिति के सदस्यों की संख्या समय-समय पर आवश्यकतानुसार घटाई तथा बढ़ाई जा सकती है । इस सेवा का ऐसा सदस्य जो सरकारी विभाग में किसी पद पर होने की वजह से संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, स्मार-पत्र अथवा पत्र पर विचार करने का अधिकारी है, इस संघ का पदाधिकारी नहीं हो सकेगा ।

13.2 केन्द्रीय कार्य समिति में पदाधिकारियों की संख्या 19 एवं कार्य समिति सदस्यों की संख्या 22 कुल 41 सदस्य होंगे, जिसका निर्वाचन सामान्य परिषद् के द्वारा किया जाएगा ।

- 13.3 संघ में पदाधिकारियों का निर्वाचन निम्नलिखित पदों के लिये होगा जो समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर सामान्य परिषद् द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकेगा ।  
अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, महामंत्री-1, उप-महामंत्री-1, कोषाध्यक्ष-1, सह-कोषाध्यक्ष-1, सम्पादक-1, प्रबंध-सम्पादक-1, प्रचार सचिव -1, सचिव ( जल संसाधन विभाग)-1 सचिव ( लघु जल संसाधन विभाग)-1, सचिव ( पथ निर्माण विभाग)-1 सचिव ( भवन निर्माण विभाग)-1, सचिव ( ग्रामीण कार्य विभाग)-1, सचिव ( लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग )-1 एवं सचिव ( यांत्रिक )-1, संगठन सचिव ( पटना परिक्षेत्र )-1, संगठन सचिव ( भागलपुर परिक्षेत्र )-1, संगठन सचिव ( तिरहुत परिक्षेत्र )-1
- 13.4 केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर सामान्य परिषद् द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकेगा ।  
सदस्य कार्य समिति ( जल संसाधन वि० / लघु जल संसाधन वि० )-12 पद ।  
सदस्य कार्य समिति ( पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग ) - 07 पद ।  
सदस्य कार्य समिति ( लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ) - 02 पद ।  
सदस्य कार्य समिति ( यांत्रिक/खनन/मत्स्य/आई०टी० आई० ) - 01 पद ।
- 13.5 संघ के समस्त क्षेत्रीय सचिव केन्द्रीय कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे, जिन्हें मताधिकार प्राप्त होगा ।
- 13.6 कार्य समिति में गणपूर्ति के लिए एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
- 13.7 संघ के क्रिया कलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी ।
- 13.8 महामंत्री अथवा उनकी अनुपस्थिति में उप-महामंत्री, अध्यक्ष की राय से बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान निश्चित करेंगे ।
- 13.9 अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता किया करेंगे । इन दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए बहुमत के आधार पर निर्वाचित कर लिया जाएगा ।
- 13.10 सभी मुद्दे बहुमत से निर्णित होंगे, लेकिन जब कभी मतों में समता की स्थिति उत्पन्न होगी तब अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा ।
- 13.11 सभी कार्रवाईयाँ कार्यवाही पंजी में दर्ज की जायेगी और अध्यक्ष उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे ।
- 13.12 कार्य समिति एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन सामान्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिये किया जाएगा । एक ही पद पर कोई भी पदाधिकारी दो लगातार

- सत्र से अधिक निर्वाचित नहीं किये जायेंगे । सत्रावधि में किसी भी पद के लिए हुई रिक्तियों को कार्य समिति द्वारा अगले निर्वाचन तक के लिये भरा जा सकेगा ।
- 13.13 कार्य समिति के एक तिहाई सदस्यों की अध्याचना पर अध्यक्ष के द्वारा कार्य समिति की अध्याचित बैठक किसी समय बुलाई जा सकेगी ।
- 13.14 कार्य समिति समस्त केन्द्रीय लेखाओं के अंकेक्षण हेतु एक अंकेक्षक दल का मनोनयन कार्यसमिति के सदस्यों/पदाधिकारियों सहित के बीच से न कर बाहर से करेगी । अंकेक्षण के उपरान्त "अंकेक्षक दल" यह प्रमाणित करेगा कि उसने विधिवत संघ के लेखाओं को जांचा है । अंकेक्षक दल अलग से त्रुटियों संबंधी अपना प्रतिवेदन समाविष्ट करेगा ।
- 13.15 क्षेत्रीय सचिवों, जनपद सचिवों एवं शाखा के पदाधिकारियों / कार्यकारिणी सदस्यों तथा पार्षदों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कार्य समिति एक निर्वाचन मंडल का गठन करेगी ।
- निर्वाचन मंडल अपने स्तर से निर्वाचन की तिथि, समय, स्थान एवं आवश्यक अनुदेश जारी करेगा ।
- 13.16 संघ के केन्द्रीय पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देने हेतु दो सदस्यीय सलाहकार समिति होगी जिसके सदस्य निवर्तमान अध्यक्ष एवं निवर्तमान महामंत्री होंगे । इस समिति के सदस्य केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक में भाग लेंगे, परन्तु इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
- 13.17 नियमों की व्याख्या का एकमात्र अधिकार कार्य समिति को होगा । संघ को प्रभावित करने वाले किसी मुद्दे पर व्याख्या संबंधी सवाल खड़ा होने पर कार्य समिति का निर्णय आखिरी होगा और संघ के सभी सदस्यों के लिए मान्य होगा ।
14. सामान्य परिषद् -
- 14.1 वर्तमान कार्य समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य, संघ के समस्त सेवारत पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महामंत्री, वर्तमान क्षेत्रीय सचिव, जनपद सचिव, शाखा के अध्यक्ष, शाखा सचिव तथा शाखा कोषाध्यक्ष सहित सभी पार्षद सामान्य परिषद् के सदस्य होंगे ।
- 14.2 कंडिका- 14.1 के तहत सामान्य परिषद् का गठन होगा, जिसमें संघ के सभी अधिकार निहित होंगे ( संविधान संशोधन छोड़कर ) ।
- 14.3 सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में साधारणतः दो बार होगी, जिसमें गणपूर्ति के लिए 30 प्रतिशत पार्षदों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । कार्यसमिति का निर्वाचन तथा संघ के समस्त क्रिया कलापों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा ।
- 14.4 केन्द्रीय कार्य समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का चुनाव सामान्य

परिषद् द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक निर्वाचन पदाधिकारी एवं तीन सहायक निर्वाचन पदाधिकारी होंगे।

सामान्य परिषद् की असाधारण बैठक 20 प्रतिशत पार्षदों द्वारा अधियाचित किये जाने पर किसी भी समय बुलाई जा सकेगी जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत पार्षदों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

### आमसभा -

1. संघ के सभी आजीवन एवं सामान्य सदस्य आमसभा के सदस्य होंगे।
2. वर्ष में एक बार सदस्यों की एक आमसभा होगी, जिसके समय एवं स्थान का निर्णय केन्द्रीय कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा।
3. संघ की आमसभा को सर्वोपरि अधिकार होगा तथा आमसभा में सभी मुद्दों पर बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा।
4. सभा में उपस्थित कोई भी सदस्य कार्यावली में अंकित किसी प्रस्ताव में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकता है।
- 5.5 आमसभा की कार्यवाही मुद्रित कराकर संघ के सदस्यों में वितरित की जायेगी तथा प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह कार्यवाही पुस्तिका की जांच अध्यक्ष की अनुमति से कर सके।
- 5.6 केवल आमसभा को यह अधिकार होगा कि वह किसी नियम अथवा सभी नियमों में संशोधन कर सके।

### 16. कोष -

- 16.1 संघीय कोष के निम्नलिखित श्रोत होंगे -
  - (क) सामान्य सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता राशि।
  - (ख) समय-समय पर कार्य समिति द्वारा विभिन्न मदों में निर्धारित राशि।
  - (ग) सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त अनुदान / सहयोग से प्राप्त राशि।
- 16.2 संघ का कोष सुरक्षित रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक/सरकारी संस्थानों/ सरकारी नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थानों में रखा जाएगा।
- 16.3 स्थाई कोष की राशि जैसे आजीवन सदस्यता की राशि आदि लाभकारी योजनाओं में इस प्रकार निवेशित किए जायेंगे ताकि मूलधन सुरक्षित रखते हुए पूंजीगत वृद्धि प्राप्त हो सके।
- 16.4 स्थाई कोष निवेश पर प्राप्त होने वाले लाभांश/ब्याज की राशि भी संघीय खर्च हेतु कार्य समिति के अनुमोदनोपरान्त उपयोग में लायी जायेगी, वशर्त्ते ब्याज, लाभांश मूलधन के अतिरिक्त हो।
- 16.5 निवेशित राशि का पूर्ण विवरण, निवेशित अवधि प्राप्त होने वाला लाभांश आदि विहित रूप में कोषाध्यक्ष द्वारा संधारित किया जाएगा।

- 16.6 निवेश प्रमाण पत्रों सहित अन्य वित्तीय दस्तावेजों तथा अभिलेखों को सुरक्षित रूप में रखने का दायित्व कोषाध्यक्ष का होगा ।
17. कोष का संग्रह -
- 17.1 सदस्यों से प्राप्त की जानी वाली समस्त राशि का संग्रह मुख्यालय द्वारा महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्राप्ति रसीद पर ही किया जाएगा ।
- 17.2 प्राप्ति रसीद की छपाई मुख्यालय स्तर पर तीन प्रति में कराई जायेगी तथा रसीद पर क्रम संख्या अंकित होगा । रसीद की पहली प्रति संबंधित सदस्य की, दूसरी प्रति शाखा की एवं तीसरी प्रति मुख्यालय की होगी ।
- 17.3 प्राप्ति रसीद का लेखा कोषाध्यक्ष संधारित करेंगे तथा उन्हीं के स्तर से निर्गत किया जाएगा ।
- 17.4 प्राप्ति रसीद शाखाओं को मुख्यालय द्वारा दी जायेगी ।
- 17.5 शाखा सचिव एवं कोषाध्यक्ष संग्रहित राशि प्राप्त कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा करेंगे एवं इस खाते का संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन करेंगे ।
- 17.6 शाखा कोषाध्यक्ष मुख्यालय को प्रेषित की जाने वाली राशि बैंक स्थानान्तरण कर केन्द्रीय कोष को उपलब्ध करायेंगे । प्राप्ति रसीद की मुख्यालय प्रति केन्द्रीय कार्यालय को निश्चित रूप से भेजेंगे ।
- 17.7 शाखा द्वारा जमा की गई राशि के विरुद्ध मुख्यालय से समेकित मदवार प्राप्ति रसीद जो महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त होगा, कोषाध्यक्ष द्वारा दी जायेगी ।
- 17.8 जिस जनपद एवं क्षेत्र से केन्द्र को निर्धारित सहयोग राशि प्राप्त नहीं होगी वैसे जनपद सचिव एवं क्षेत्रीय सचिव के किसी भी प्रकार के विपत्र/प्रमाणक का भुगतान केन्द्र द्वारा नहीं किया जाएगा ।
18. बैंक लेखा -
- 18.1 अवर अभियंता संघ, बिहार (Sub-ordinate Engineers' Association, Bihar) के नाम से बैंक लेखा रखा जाएगा ।
- 18.2 मुख्यालय में प्राप्त होने वाली राशि कोषाध्यक्ष द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा संघ के बैंक खाते में दूसरे कार्य दिवस को जमा किया जाएगा ।
- 18.3 बैंक खाते का संचालन महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा ।
19. व्यय की प्रक्रिया -
- 19.1 मुख्यालय में संभावित व्यय की समस्त राशि का आकलन कोषाध्यक्ष,

महामंत्री के परामर्श से तैयार कर उस पर अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात् उतनी राशि बैंक खाते से निकाली जायेगी ।

- 19.2. व्यय के लिए अग्रिम राशि प्राप्ति हेतु पदाधिकारियों/सदस्यों/अन्य को महामंत्री/ कोषाध्यक्ष को संबोधित अनुरोध पत्र देना होगा ।
- 19.3. कोषाध्यक्ष, पदाधिकारियों/सदस्यों/अन्य धारकों को महामंत्री की सहमति से/पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अग्रिम राशि, संघीय कार्य हेतु भुगतान करेंगे तथा उनसे हस्त रसीद प्राप्त करेंगे ।
- 19.4. प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए अग्रिम राशि संबंधित व्यक्ति के नाम अग्रिम पंजी में कोषाध्यक्ष द्वारा अंकित किया जाएगा ।
- 19.5. प्रत्येक अग्रिम धारक व्यक्ति को विगत माह का व्यय विवरणी/प्रमाणक वर्तमान माह के पहले सप्ताह तक कोषाध्यक्ष को समर्पित करना होगा ।
- 19.6. व्यय विवरणी/प्रमाणक विपत्र कोषाध्यक्ष द्वारा जाँचोपरान्त महामंत्री पारित करेंगे ।
- 19.7. पारित व्यय विवरणी/प्रमाणक विपत्र कोषाध्यक्ष द्वारा रोकड़ वही में अंकित किया जायेगा । रोकड़ वही का संधारण अद्यतन रखा जाएगा ।
- 19.8. पूर्व से अग्रिम धारित करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुनः अग्रिम किसी भी स्थिति में देय नहीं होगा ।

## 20. वित्तीय नियमावली -

- 20.1. संविधान के अन्तर्गत निहित प्रावधानों एवं श्रोतों से संग्रहित संघीय कोष की राशि का समुचित ढंग से सदस्यों के हितार्थ व्यय किए जाने के आलोक में संघ की वित्तीय नियमावली आवश्यक है । व्यय की व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी रखने की आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक राशि का दुरुपयोग न हो, सदस्यों की आस्था बनी रहे और कोष संग्रह पर उसका अनुकूल असर पड़े । मितव्ययिता की मूल भावना व्यय में परिलक्षित हो ।
- 20.2. वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

## 21. लेखा -

- 21.1. मुख्यालय स्तर पर कोष से संबंधित समस्त लेखाओं का संधारण कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।
- 21.2. संघीय सामानों, परिसम्पत्तियों एवं साज-सज्जा लेखा आदि भी कोषाध्यक्ष द्वारा संधारित किया जाएगा ।
- 21.3. 1 जनवरी से 31 दिसम्बर की अवधि संघ का वित्तीय वर्ष माना जाएगा ।

## 22. अंकेक्षण -

- 22.1. सभी स्तर के समस्त लेखाओं का अंकेक्षण संवैधानिक प्रावधानों के तहत कराया जाएगा ।

### 23. लेखाओं का प्रस्तुतीकरण -

- 23.1 शाखा स्तरीय लेखा को शाखा कोषाध्यक्ष शाखा की बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।
- 23.2 मुख्यालय में कोषाध्यक्ष मासिक लेखा पदाधिकारियों की बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।
- 23.3 कार्य समिति की बैठक में कोषाध्यक्ष लेखा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।
- 23.4 वार्षिक अंकेक्षित लेखा कार्य समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृतार्थ सामान्य परिषद् की बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा ।
- 23.5 सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकृत लेखा आम-सभा में एवं आम सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाएगा ।
- 23.6 संघ का कोई भी सदस्य संघीय लेखा से संबंधित अभिलेखों को अध्यक्ष की पूर्वानुमति से अवलोकन कर सकेगा ।

### 24. बजट -

- 24.1 केन्द्रीय कार्य समिति के गठनोपरान्त उसकी प्रथम बैठक में कोषाध्यक्ष, महामंत्री की सलाह से संघ का वार्षिक आय-व्यय का बजट प्रस्तुत करेंगे ।
- 24.2 कार्य समिति में प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तावित बजट प्रारूप कोषाध्यक्ष पदाधिकारियों की बैठक में विचारार्थ रखेंगे ।
- 24.3 कार्य समिति द्वारा पारित बजट प्रावधानों के तहत सदस्यों से सहयोग राशि संग्रहित की जायेगी ।
- 24.4 कार्य समिति द्वारा पारित बजट प्रावधानों के तहत ही विभिन्न मदों में व्यय किए जा सकेंगे ।
- 24.5 किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मदों की राशि दूसरे मदों में खर्च नहीं किए जायेंगे ।
- 24.6 विशेष परिस्थिति में मदों में परिवर्तन यदि अपरिहार्य हो जाय तो इस पर कार्य समिति का निर्णय आवश्यक होगा ( आजीवन सदस्यता को छोड़कर ) ।
- 24.7 शाखा द्वारा शाखा स्तरीय खर्च का आकलन करके आय-व्यय का बजट शाखा सचिव तथा कोषाध्यक्ष, शाखा कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करेंगे । जिसमें केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा निर्धारित सहयोग राशि के अतिरिक्त स्थानीय सहयोग राशि संग्रह का प्रावधान रखा जाएगा ।

### 25. संघीय कोष की उपादेयता -

- 25.1 संघ के कार्यों के लिए स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों के वेतन पर ।
- 25.2 संघ के हित में नोटिस, नियम, संलेख, रसीद, आवेदन-पत्र आदि की छपाई अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रकाशन पर ।
- 25.3 स्टेशनरी, उपस्कर, डाक खर्च तथा सभाओं के आयोजन पर ।
- 25.4 संघ के ऐसे सदस्य जो नौकरी से ऐसी परिस्थिति में निकाल दिये गये हों जिन पर उनका नियंत्रण नहीं हो लेकिन उन सदस्यों को छोड़कर जो

नौकरी से नैतिक भ्रष्टता अथवा विद्रोही क्रिया कलापों के कारण निकाल दिए गए हों ।

- 25.5 दिवंगत सदस्यों की पत्नी अथवा बच्चे जिन्हें सहायता की नितांत आवश्यकता हो ।
- 25.6 संघ के किसी भी सदस्य की सहायता यदि सहायता की वास्तव में आवश्यकता हो ।
- 25.7 सम्बद्ध संगठनों/संघों/महासंघों को दी जाने वाली सहयोग राशि ।

## 26. कोष का संचालन -

- 26.1 कार्य समिति द्वारा "वार्षिक बजट" पारित होने के पश्चात् एवं उसके अनुकूल ही व्यय किया जाएगा ।

अपरिहार्य स्थिति में कार्य समिति द्वारा "अन्तरिम बजट" पारित कराकर व्यय किया जा सकता है परन्तु इसकी अवधि एक माह से अधिक की नहीं होगी ।

- 26.2. कोष संग्रह शाखाओं के माध्यम से किया जाएगा ।
- 26.3 केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा किसी भी शाखा से प्राप्त सहयोग राशि सामान्यतः नगद रूप में प्राप्त नहीं की जायेगी ।  
अपरिहार्य कारणों से कार्य समिति द्वारा इसे शिथिल किया जा सकता है ।
- 26.4 संघ के लिए आवश्यक सामानों का क्रय पदाधिकारियों की बैठक में निर्णयोपरान्त किया जाएगा ।
- 26.5 क्रय किये गये सामानों का उपयुक्त लेखा रखा जाएगा एवं उसका मासिक लेखा संपोषित किया जाएगा ।
- 26.6 केन्द्र एवं शाखा के कोष का आय-व्यय का मासिक लेखा संबंधित कोषाध्यक्ष द्वारा प्रतिमाह तैयार कर कार्यसमिति/कार्यकारिणी के सदस्यों, क्षेत्रों, जनपदों एवं शाखाओं में प्रसारित किया जाएगा ।
- 26.7 महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष स्थापना के कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार व्यय कर सकेंगे ।
- 26.8 रुपये 50,000/- तक के व्यय हेतु केन्द्रीय पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा ।
- 26.9 रुपये 50,000/- से अधिक के व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति केन्द्रीय कार्य समिति से प्राप्त करना होगा ।
- 26.10 क्षेत्रीय सचिव, जनपद सचिव एवं शाखा के खर्च का वहन केन्द्रीय कार्य समिति संबंधित क्षेत्र एवं जनपद से सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि से करेगी जिसका अनुपात क्षेत्रीय सचिव, जनपद सचिव एवं शाखा के लिए क्रमशः 8%, 12% एवं 30% होगा ।

क्षेत्रीय सचिव एवं जनपद सचिव आय-व्यय का लेखा प्रतिमाह तैयार कर केन्द्र एवं संबंधित क्षेत्र, जनपदों तथा शाखाओं में प्रसारित करेंगे ।

26.11 प्रतिदिन विविध खर्च हेतु एक अग्रदाय खाता (Imprest Account) रु0 10,000/- (दस हजार रूपये) होगा, जिससे कोषाध्यक्ष एवं महामंत्री आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार खर्च कर सकेंगे।

## 27. आवासीय व्यवस्था -

27.1 आवासीय व्यवस्था को सुविधायुक्त, सुरक्षित एवं सुसज्जित रखा जाएगा।

27.2 आवासीय व्यवस्था का उपयोग करने वाले सदस्यों से निर्धारित सहयोग राशि ली जायेगी।

27.3 आवासीय व्यवस्था का उपयोग करने वाले सदस्यों से ली जाने वाली सहयोग राशि का निर्धारण कार्य समिति द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा।

27.4 आवासीय व्यवस्था से प्राप्त सहयोग राशि के विरुद्ध सदस्यों को प्राप्ति रसीद दिया जाएगा तथा राशि प्रति दूसरे दिन संघ के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

27.5 कार्य समिति द्वारा निर्धारित आवासीय व्यवस्था नियमावली का अनुपालन, आवासीय व्यवस्था का उपयोग करने वाले सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा।

27.6 नियमावली का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के विरुद्ध महामंत्री विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे।

## 28. भवन आरक्षण -

28.1 यदि किसी तिथि को संघीय कार्य हेतु भवन के सभाकक्ष/भवन के भाग की आवश्यकता नहीं है तो उस तिथि को सभाकक्ष/भवन के भाग को निर्धारित सहयोग राशि प्राप्त कर उपयोग हेतु सदस्यों को महामंत्री द्वारा आरक्षित किया जा सकेगा।

28.2 सभागार/भवन के भाग के आरक्षण हेतु सहयोग राशि का निर्धारण कार्य समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा।

28.3 सभागार/भवन के भाग के आरक्षण से संबंधित एक नियमावली कार्य समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

28.4 नियमावली का पालन सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

28.5 भवन को क्षति पहुँचाने वाले तथा नियमावली की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई महामंत्री द्वारा की जायेगी।

## 29. लेखा का हस्तान्तरण एवं प्रभार -

29.1 निवर्तमान महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष निर्वाचित महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष को हस्ताक्षरयुक्त प्रभार सत्र प्रारंभ होने के 15 पन्द्रह दिनों के अन्दर सौंप देंगे। लेखा का प्रभार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नहीं होने की स्थिति में महामंत्री, निवर्तमान महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।

- 29.2 संघ के समस्त निवेश प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों, अभिलेखों एवं महत्वपूर्ण वित्तीय पंजियों को भी निर्वाचित पदाधिकारियों को विधिवत सौंपा जाएगा ।
- 29.3 निर्वाचित अध्यक्ष, निर्वाचित महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष को बैंक लेखा संचालन हेतु शिनाख्त ( इंट्रोड्यूस ) करेंगे । इनके हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित निवर्तमान महामंत्री एवं निवर्तमान कोषाध्यक्ष करेंगे ।
30. संघ की पत्रिका ( निर्माता-निदेश ) -
- 30.1 संघ की पत्रिका "निर्माता-निदेश" का मुख्यालय पटना में होगा ।
- 30.2 पत्रिका के संचालन के लिये सम्पादक एवं प्रबंध सम्पादक का निर्वाचन सामान्य परिषद् द्वारा किया जाएगा ।
- 30.3 सम्पादक एवं प्रबंध सम्पादक की सलाह से कार्य समिति एक सम्पादक मंडल का गठन करेगी ।
- 30.4 सम्पादक मंडल पत्रिका के संचालन में सहयोग करेगा ।
- 30.5 पत्रिका बिना हानि लाभ के आकलन पर प्रकाशित की जायेगी ।
- 30.6 पत्रिका के आय के निम्नलिखित श्रोत रहेंगे - ग्राहकता शुल्क, विज्ञापन एवं विशेष अनुदान ।
- 30.7 पत्रिका का सत्र 1ली जनवरी से 31वीं दिसम्बर होगा ।
- 30.8 पत्रिका की ग्राहकता शुल्क सम्पादक मंडल द्वारा कार्य समिति के परामर्श से सत्र के प्रारंभ में तय कर लिया जाएगा ।
- 30.9 पत्रिका की लेखा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा । जिसका संचालन सम्पादक एवं प्रबंध सम्पादक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा ।
- 30.10 पत्रिका के लेखा का अंकेक्षण, प्रतिवर्ष कार्य समिति द्वारा मनोनीत अंकेक्षक दल के द्वारा कराया जाएगा ।
- 30.11 सम्पादक/प्रबंध सम्पादक अंकेक्षित लेखा को कार्य समिति एवं सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
31. अवर अभियंता संघ, बिहार, कल्याण निधि -
- 31.1 कल्याण निधि संघ का एक कल्याणकारी योजना है, जो सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिसमें संघ के अध्यक्ष कल्याण निधि के पदेन चेयरमैन होते हैं । ट्रस्टीज का मनोनयन संघ की कार्य समिति द्वारा किया जाता है ।  
कल्याण निधि के विघटन की स्थिति में आस्तियाँ और दायित्व (Assets and Liabilities) संघ के अधीन होगी ।
32. पदाधिकारियों का कर्तव्य एवं दायित्व -
- 32.1 पदाधिकारियों का निर्वाचन कार्य विशेष को दृष्टिगत रखते हुए पद विशेष के लिए ही किया जाता है । पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना महामंत्री का दायित्व होगा ।

32.2 अध्यक्ष संगठन के संवैधानिक प्रमुख एवं महामंत्री कार्यपालक प्रधान होंगे। संगठन में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे तथा इस कार्य हेतु समस्त केन्द्रीय/क्षेत्रीय पदाधिकारी उनको वांछित सहयोग प्रदान करेंगे।

संगठन के महामंत्री अपने समस्त सहयोगी पदाधिकारियों के सहयोग से तमाम संगठनात्मक गतिविधियों को कार्यान्वित करेंगे। महामंत्री, अध्यक्ष के परामर्श से किसी भी पदाधिकारी विशेष को कार्य विशेष की जिम्मेवारी देंगे और उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।

32.3 पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठकों में कार्यों की समीक्षा एवं अग्रेतर मार्गदर्शन अध्यक्ष/महामंत्री अपने सहयोगी पदाधिकारियों को प्रदान करेंगे।

33. विविध -

33.1 संघ के सभी परिसम्पत्तियों के देखभाल हेतु एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। केन्द्रीय कार्य समिति अधिवक्ता के परामर्शानुसार ट्रस्ट का गठन करेगी जिसका निबंधन बिहार सरकार के निबंधन विभाग के अन्तर्गत होगा।

33.2 केन्द्रीय कार्य समिति के निर्वाचन में नामांकन हेतु संघ की आजीवन सदस्यता, निर्माता-निदेश पत्रिका की आजीवन ग्राहकता एवं कल्याण निधि योजना की सदस्यता अनिवार्य होगी। आजीवन का मतलब सेवाकाल तक। लेकिन 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सदस्यों पर निर्माता-निदेश की आजीवन ग्राहकता की अनिवार्यता नहीं होगी। लेकिन उन्हें भी वार्षिक सदस्यता अनिवार्य रूप से आवश्यक होगी।

33.3 केन्द्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष/महामंत्री/कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचन में नामांकन हेतु न्यूनतम दो वर्ष तक केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य/पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की अर्हता अनिवार्य होगी। लेकिन 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सदस्यों को एक वर्ष तक केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य/पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की अर्हता अनिवार्य होगी।


33.4 अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के पद पर कोई भी पार्षद्/पदेन पार्षद् अपने सेवाकाल में दो सत्र से अधिक के लिए निर्वाचित नहीं हो सकेंगे। वैसे सदस्य जो सेवाकाल में अब तक उक्त पदों पर दो सत्र निर्वाचित होकर कार्य कर चुके हैं, वे पुनः धारित पदों के प्रत्याशी नहीं हो सकेंगे।

33.5 निर्वाचन के क्रम में यदि किसी पद पर नामांकन नहीं प्राप्त हो और पद रिक्त रह जाय, तो वैसे स्थिति में जब विभाग विशेष से पदधारक उपलब्ध नहीं हो, वैसे रिक्त पदों पर मनोनयन अन्य विभाग के योग्य एवं कर्मठ सदस्यों के बीच से संवैधानिक व्यवस्था से किया जाय।

33.6 सत्रावधि में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य किसी पद के उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।

33.7 कोई भी पदाधिकारी/सदस्य जो लगातार तीन बैठकों में जिसके वे पदाधिकारी/सदस्य हैं, अनुपस्थित रहेंगे, कार्य समिति उनसे स्पष्टीकरण

- मांगेगी । स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने पर कार्य समिति उन्हें अनिवार्य रूप से पदमुक्त कर दूसरे पदाधिकारी/सदस्य का मनोनयन कर देगी ।
- 33.8 कार्य समिति के निर्णय के पश्चात् एक महीने की अग्रिम सूचना देकर सामान्य परिषद् अथवा आम सभा की बैठक तथा 15 दिनों की सूचना देकर असाधारण बैठक महामंत्री बुलायेंगे । इन सभी बैठकों में रखे जाने वाले प्रस्ताव सदस्यों द्वारा एक सप्ताह पूर्व संघ कार्यालय में प्राप्त होने पर ही विचारार्थ बैठक में रखे जा सकेंगे ।
- 33.9 जिन सदस्यों का मुख्यालय पटना से बाहर है, उन्हें निर्वाचन के समय नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र भरना होगा कि वे मुख्यालय में रहकर संघीय कार्य करेंगे ।
- 33.10 संघ का सारा कार्य सामान्यतः देवनागरी लिपि एवं हिन्दी भाषा में होगा ।
- 33.11 संघ के नियम सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे । सदस्य के पंजीकरण के समय संघ के नियमावली की एक प्रति सदस्य को दी जायेगी ।
- 33.12 केन्द्रीय कार्य समिति का सत्र 1 जनवरी से 31 दिसम्बर एवं क्षेत्र/जनपद/शाखा का सत्र 1 दिसम्बर से 30 नवम्बर होगा ।
- 33.13. संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु एक ग्यारह सदस्यीय स्थायी अनुश्रवण समिति का गठन होगा । ग्यारह सदस्यीय समिति में 05 (पाँच) सेवानिवृत्त तथा 06 (छः) सेवारत सदस्य होंगे । यह समिति वर्ष में त्रैमासिक/आवश्यकतानुसार बैठक कर संघ की वित्तीय एवं अन्य कार्यों की समीक्षा कर उचित सलाह प्रदान करेगी । इस समिति के सदस्य पूर्व अध्यक्ष/पूर्व महामंत्री/पूर्व विभागीय सचिव होंगे ।
- तृतीय वर्ष के उपरान्त क्रमांक के अंतिम दो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा एवं उनके रिक्त पदों पर दो नये सदस्यों का मनोनयन होगा । सेवानिवृत्त सदस्यों में से अंत में शेष एक सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके जगह केवल एक नये सदस्य का मनोनयन होगा । सेवारत सदस्यों में तीन वर्ष के पहले सेवानिवृत्त होने की स्थिति में उनके जगह नये सदस्यों का मनोनयन होगा ।
- उदाहरणार्थ- सेवारत सदस्यों में क्रमांक-01 से 06 तक में क्रमांक-05 एवं 06 तीन वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे एवं उनकी जगह क्रमांक 01 एवं 02 पर दो सदस्य मनोनीत होंगे । इसी प्रकार सेवानिवृत्त सदस्यों की व्यवस्था होगी लेकिन अंत में बचे केवल एक सदस्य की जगह एक सदस्य का मनोनयन होगा ।
- 33.14. संघ के न्यायिक मामलों का निष्पादन हेतु पाँच सदस्यीय एक लीगल कमिटी का गठन किया जाएगा । कमिटी की बैठक प्रतिमाह होगी । कमिटी का कार्यकाल पूरे सत्र के लिए होगा । विलम्बित मामलों की समीक्षा कर उचित समय पर निष्पादन करने का प्रयास करेगी ।



इं० अरविन्द कुमार तिवारी  
अध्यक्ष

